न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 88/2025

अनवान :

नवीन देवेंदा पुत्र गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार जिला हिसार हरियाणा।

:– वादी

बनाम

1. गजेसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा।
2. कौशल्यादेवी पत्नी गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा।
3. विकास पुत्र गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा।
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अर्जीदावा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 758 के मुरब्बा नं0 355 के किला नं0 11, 12, 19 ता 24 सम्पूर्ण बारानी, मु0 नं0 372 के किला नं0 1 ता 4, 9, 10 सम्पूर्ण बारानी, किला नं. 11 की 0.139 है0 बारानी, मु0 नं0 373 के किला नं0 4/2 की 0.114 है0 बारानी, किला नं0 5 सम्पूर्ण, किला नं0 6 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 18 की 4.187 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी नवीन देवेंदा तथा प्रतिवादी संख्या 3 विकास को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.07.25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित [शिवरान आर.ए.एस.]

प्रकरण सं0 : 88/2025

उनवान :

नवीन देवेंदा पुत्र गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार जिला हिसार हरियाणा।

:— वादी

बनाम

1. गजेसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा।
2. कौशल्यादेवी पत्नी गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा।
3. विकास पुत्र गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा।
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बैरवाल : वादी

वकील श्री सतबीर बैनीवाल : प्रतिवादी सं0 1 ता 3

निर्णय **दिनांक : 10.06.2025**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 758 के मुरब्बा नं0 355 के किला नं0 11, 12, 19 ता 24 सम्पूर्ण बारानी, मु0 नं0 372 के किला नं0 1 ता 4, 9, 10 सम्पूर्ण बारानी, किला नं. 11 की 0.139 है0 बारानी, मु0 नं0 373 के किला नं0 4/2 की 0.114 है0 बारानी, किला नं0 5 सम्पूर्ण, किला नं0 6 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 18 की 4.187 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि संयुक्त परिवार की सहदायिकी कृषि भूमि है, जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 3 का अपने जन्म से ही हक व हिस्सा है। उक्त वादभूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त परिवार की पैतृक 120 केनाल कृषि भूमि गांव दाहिमा तहसील व जिला हिसार में हुआ करती थी। वादी के पिता श्री गजेसिंह उर्फ गजानन्द के परिवार में जब पुश्तैनी कृषि भूमि व वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक सैटलमैन्ट डिक्री दिनांक 11.11.1995 एडीशनल सीनियर सब जज हिसार, सिविल सूट नम्बर 435/1995 हुआ तब पारिवारिक बंटवारा में वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के पिता श्री गजेसिंह के हिस्सा में आ गई। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति[illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 [illegible] जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने पर तनकी [illegible] है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में नवीन देवेंदा पुत्र गजेसिंह जाति जाट निवासी अर्बन एस्टेट 2 हिसार हरियाणा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 758 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 122/113 सम्वत 2050 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि डिक्री दिनांक 11.11.1995 एडीशनल सीनियर सब जज हिसार, सिविल सूट नम्बर 435/1995 प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबड़ा प्रदर्श 4, रहन

Scanned with CamScanner

... खाता संख्या 758/80 संवत 2074-2077 प्रदर्श 5 प्रदर्शित ...

... सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए ... कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं ... का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व ... से वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस ... होने पर वादी ... वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी ... अर्जीदावा ... किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर ... का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही ... के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा ... हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य ... प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 758 ... मुरब्बा नं0 355 के किला नं0 11, 12, 19 ता 24 सम्पूर्ण बारानी, मु0 नं0 372 के किला नं0 ... ता 4, 9, 10 सम्पूर्ण बारानी, किला नं 11 की 0.139 है0 बारानी, मु0 नं0 373 के किला नं0 4/2 की 0.114 है0 बारानी, किला नं0 5 सम्पूर्ण, किला नं0 6 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 18 की 4.187 है0 बारानी वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि मे से प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अर्जीदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अर्जीदावा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 758 के मुरब्बा नं0 355 के किला नं0 11, 12, 19 ता 24 सम्पूर्ण बारानी, मु0 नं0 372 के किला नं0 1 ता 4, 9, 10 सम्पूर्ण बारानी, किला नं. 11 की 0.139 है0 बारानी, मु0 नं0 373 के किला नं0 4/2 की 0.114 है0 बारानी, किला नं0 5 सम्पूर्ण, किला नं0 6 की 0.139 है0 बारानी, कुल किता 18 की 4.187 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 गजेसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी नवीन देवेंदा तथा प्रतिवादी संख्या 3 विकास को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आदेश पत्र डिक्री ज[illegible]

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner